कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन,

मध्य प्रदेश, भोपाल

Tel & Fax 0755-2674334 Email- pccf.mp@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/2017/ 230 भोपाल, दिनांक 18/01/2017

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
वन वृत्त बालाघाट, रीवा, होशंगाबाद,
भोपाल एवं इन्दौर

विषयः– दिनॉक 07.02.2016 को जम्बूरी मैदान, भोपाल में आयोजित तेन्दूपत्ता संग्रहकों एवं वन समितियों के महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा क्रमॉक 17 के पालन के संबंध में।

संदर्भः– 1.. अपर मुख्य सचिव (वन) द्वारा आयोजित बैठक दिनॉक 28.11.2016 के कार्यवाही विवरण का बिन्दु क्रमॉक 2.

2. वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की 432वी बैठक में रखे गए एजेण्डा के संदर्भ में जारी किए गए आदेश क्रमॉक 432/33, दिनॉक 04.01.2017

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा *" प्रदेश के 1814 निस्तार डिपों व 470 बांस विक्रय डिपों को काष्ठ एवं बांस का क्रय–विक्रय केन्द्र बनाया जायेगा। इन केन्द्रों पर वन विभाग द्वारा कृषकों से बांस एवं काष्ठ की खरीदी शासन निर्देशानुसार निर्धारित लाभ की दर पर की जावेगी। इन्हीं डिपों से बांस एवं काष्ठ प्रदेश के बांस शिल्पकारों व गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले निस्तारियों एवं उपभोक्ताओं को तत्समय प्रचलित रियायती दरों पर विक्रय की जावेगी। दोनो दरों के अंतर की राशि अनुदान के रुप में राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।'* उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव (वन) द्वारा दिनॉक 28.11.2016 को बैठक ली गयी। जिसमें तय किया गया कि उक्त घोषणा के पालन में प्रायोगिक तौर पर वर्तमान में प्रदेश के 5 वनमण्डलों के एंक एक डिपों में बांस क्रय–विक्रय संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। बांस क्रय हेतु राशि उत्पादन शाखा द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। बालाघाट, सतना, हरदा, भोपाल एवं अलिराजपुर वनमण्डल के एक–एक डिपों में यह घोषणा प्रायोगिक तौर पर केवल बांस के क्रय विक्रय हेतु दिनॉक 01.01.2017 से 30.06.2017 तक के लिए लागू की जावेगी और इस घोषणा के अन्तर्गत स्थानीय कृषकों से बांस का क्रय किया जावेगा, और घोषणा में उल्लेखित निस्तारियों एवं उपभोक्ताओं को प्रचलित रियायती दरों पर विक्रय किया जाएगा। किसानों से क्रय किए जाने वाले बांस की दरों का निर्धारण क्षेत्रीय वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा। दरों को तय करने की प्रकिया वही होगी जो मालिक मकबुजा के तहत काष्ठ क्रय करने के लिए निर्धारित है।

इस संबंध में कृषकों से बांस दिनॉक 01.01.2017 से 30.06.2017 के बीच (खण्ड खण्ड) में क्रय किया जाएगा, जिससे हितग्राहियों को हरा बांस विक्रय किया जा सके। कृषकों से क्रय किए गए बांस उक्त निस्तारियों एवं बसोंडों को उल्लेखित अवधि में ही विक्रय किए जायेंगे। 30 जून,2017 के बाद शेष बचे बांसों को नीलाम द्वारा निर्वर्तित किया जायेगा। नीलामी में यदि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कम प्राप्त होता है तो इस हानि की

राशि की मांग आगामी वर्ष के बजट में नया मद निर्मित कर, बजट प्राप्त कर इसकी पूर्ति की जाएगी, साथ ही साथ किसानों से बांस क्रय एवं हितग्रहियों को रियायती दर पर बांस विक्रय से उत्पन्न अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के रुप में घोषणानुसार शासन से मांग कर की जाएगी।

कृषकों से बांस के क्रय–विक्रय एवं हितग्राहियों को बांस प्रदाय के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है:–

1– कृषकों से विभाग द्वारा उक्त पांच डिपों में 2.50, 2.80, 3.70, 4.60 एवं 5.50 मीटर लम्बाई के ही बांस क्रय किये जाएगें, जिनकी गोलाई 12 सेंण्टीमीटर से कम नहीं होगी। केवल उसी गोलाई का बांस क्रय किया जाएगा जो हितग्राहियों द्वारा सहर्ष क्रय किया जाएगा एवं ध्यान रखा जाए कि क्रय किए गए बांस का वितरण निर्धारित हितग्रहियों को पूर्ण हो जावे तथा बांस बटने से शेष न रहे और इनके निलामी से निवर्तन की स्थिति पैदा न हो ।

2– कृषकों से केवल डिपों में निर्धारित एवं निस्तार पत्रिका में उल्लेखित मात्रा में बांस को ही खण्ड–खण्ड में क्रय किया जाएगा जो उस डिपों से 30 जून,2017 से पूर्व शतप्रतिशत निवर्तित हो जाए। निस्तार पत्रिका में उल्लेखित डिपों में निर्धारित मात्रा में से विभाग द्वारा उपलब्ध मात्रा को घटाकर शेष मात्रा ही किसानों से क्रय की जा सकेगी, इसका निर्धारण संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3– बांस का प्रदाय मात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार किया जाएगा। पात्रता से अधिक बांस का प्रदाय नहीं होगा। जिन हितग्राहियों को बांस प्राप्त करने की पात्रता संबंधित डिपो से है उन्हें ही बांस प्रदाय किया जावेगा।

4– उक्त पांच डिपों में जिन कृषकों से बांस का क्रय किया जाएगा, उन्हें बांस भिर्रो से बांस की कटाई एवं बांस निकालने के संबंध में उचित प्रशिक्षण परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कृषकों का समूह बनाकर उनके खेतों में दिया जाएगा जिससे कृषक केवल वहीं बांस काटकर एवं बांधकर लाए जो काटने योग्य है। ताकि भिर्रा आगामी वर्षो में बांस का उत्पादन देता रहे। बांस को काटने के बाद मॉके पर ही 10–10 बांसों को दो सिरों पर बॉधा जाए जिससे बांस टेढे न हो।

5– ऐसे स्थानीय कृषकों को सूचीबद्ध किया जाए, जो डिपों में बांस देना चाहते है, उनके खेतों का निरीक्षण किया जाए जहॉ बांस उपलब्ध है। जिससे कृषको के अतिरिक्त व्यापारी बांस के प्रदाय में प्रवेश न ले सके। सूचीबद्ध कृषकों से समय व क्रम के अनुसार बांस लिया जाए। जिससे डिपों में बांस की आवक सुचारु रुप से रहे और आवश्यकता से अधिक बांस डिपों में क्रय हेतु न आए।

मुख्य रुप से यह निर्देश प्रायोगिक तौर पर कृषकों से बांस का क्रय प्रारंभ करने के लिए दिए जा रहें है, उक्त प्रक्रिय में अन्य सुझाव एवं निर्देश आवश्यकतानुसार समय समय पर जोडे जा सकेंगे। प्रत्येक डिपों में इस वर्ष क्रय एवं विक्रय के उपरान्त कितनी राशि का अनुदान बनता है, इसकी गणना कर दिनॉक 15.07.2017 तक जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) को भेजें, ताकि वे अनुदान की मांग शासन से कर सके। साथ ही यदि अपवादस्वरुप किसी डिपो में नीलाम द्वारा अवशेष बांस का निवर्तन किया जाता है तो उसके राशि की गणना कर एक नये बजट मद बनाकर शासन से वित्त/बजट शाखा द्वारा मांग की जावेगी।

(डा0 अनिमेष शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/2017/ 231 भोपाल, दिनांक 18/01/201

1 – अपर मुख्य सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल

2– समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

3– समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी वन वृत्त

4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म0प्र0 बांस मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल